

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना-पत्र संख्या-10/2013..... जिलाजयपुर.....

उनवान : मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम जिला आबकारी अधिकारी जयपुर व अन्य



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07/02/2018	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री के. एल. जैन, सदस्य</u> <u>श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</u></p> <p>प्रार्थी व्यवहारी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2235/2011/जयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.01.2013 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अनन्त कासलीवाल व विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी।</p> <p>विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील आबकारी संख्या 2235/2011/जयपुर में खण्डपीठ द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 11.01.2013 में यह त्रुटि बताई है कि इस आदेश के पृष्ठ संख्या 4, 5 व 6 पर आदेश में यह अंकित किया गया है कि इस प्रकरण में कम्पनी के सिर्फ नाम में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके विधिक स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता है एवं इस आधार पर प्रार्थी के पक्ष में निर्णय किया गया था, परन्तु उनके द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थी उसमें कम्पनी के नाम के परिवर्तन का विवाद न होकर होटल के Signage के परिवर्तन का विवाद था अतः पूरे आदेश में कम्पनी के नाम परिवर्तन के स्थान पर Signage परिवर्तन को अंकित किया जावे।</p> <p>बहस के दौरान हमारे द्वारा मूल निगरानी में प्रस्तुत की गई प्रार्थना का अवलोकन किया गया तब पाया कि विद्वान अभिभाषक द्वारा जो प्रार्थना-पत्र संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतया गलत एवं तथ्यों के विपरीत है क्योंकि जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थी उसकी प्रार्थना में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि -</p> <p>".....the Learned Excise Commissioner and intimated vide letter dated 26.07.2011 and the order dated 16-12-2010 passed by the District Excise Officer, Jaipur, wherein previous orders passed by the such Authorities have merged, be quashed and set-aside and to hold that a mere change in the name of Company, consequent to its amalgamation with its principal / parent company cannot be held to be a transfer of ownership and therefore the Respondent be directed to refund the Fees forcibly collected for name change from the Revisoner Company."</p>	

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना-पत्र संख्या-10/2013..... जिलाजयपुर.....

उनवान : मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम जिला आबकारी अधिकारी जयपुर व अन्य

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07/02/2018	<p>उक्त प्रार्थना के पठन से स्पष्ट है कि माननीय खण्डपीठ द्वारा उसी बिन्दु पर आदेश पारित किया गया है जिसे प्रार्थी द्वारा विवादित किया गया था। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने भी यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र का आधार वास्तविक रूप से तथ्यों के विपरीत है एवं कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपने आदेश में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं की गयी है, क्योंकि पूरे प्रकरण में Signage of Hotel का कोई विवाद नहीं था, बल्कि कम्पनी के नाम परिवर्तन का ही विवाद है एवं इसी अनुरूप कम्पनी के नाम परिवर्तन के विवाद पर ही प्रार्थी के पक्ष में निर्णय दिया गया था।</p> <p>फलतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> <div style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </div> </div>	